

न्यायालय :- जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-VI, हिलसा (नालंदा)।

पीठासीन पदाधिकारी :- रघुवंश नारायण

ए0बी0पी0-583 / 2026

(करायपरसुराय थाना कांड संख्या-119 / 2026)

योगेन्द्र प्रसाद उर्फ योगेन्द्र सिंह एवं अन्य बनाम् राज्य सरकार।

Date of Order	Order with the signature of the Court	Office action taken
22-06-2026	आवेदकगण 1. योगेन्द्र प्रसाद उर्फ योगेन्द्र सिंह, 2. विकास यादव उर्फ विकास कुमार की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन पत्र जो धारा-126(2), 115(2), 117(2), 109(1), 303(2), 3(5) बी0एन0एस0 के तहत करायपरसुराय थाना कांड संख्या-119 / 2026 के संबंध में दाखिल किया गया है, जिस पर दोनों पक्षों को सुना। आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन वापसी के संबंध में एक आवेदन देकर निवेदन करते हैं कि प्रस्तुत अग्रिम जमानत के आवेदकगण को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। अतः ऐसी स्थिति में प्रस्तुत जमानत आवेदन को वापस लेना चाहते हैं। वापसी की अनुमति प्रदान की जाए। विद्वान अपर लोक अभियोजक जमानत आवेदन का विरोध नहीं करते हैं। सुना। आवेदकगण के अग्रिम जमानत वापसी आवेदन को स्वीकृत करते हुए प्रस्तुत वाद वापसी के आधार पर खारिज किया जाता है।  (लेखापित) Raghunath Narayan जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-VI, हिलसा (नालंदा)।	
Date of Order	22-06-2026	
Date of Reserving Order		
Uploading date	24.06.2026	
Uploaded by	R. R. Prasad (D. Eo.)	